न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 121 / 2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 मांगीलाल पुत्र डूंगराराम पालीवाल 2 भंवरलाल पुत्र डूंगराराम पालीवाल निवासीयान नेवरी		1 अणदाराम पुत्र डूंगराराम के कायम मुकाम 1/1 ओमप्रकाश पुत्र स्व. अणदाराम 1/2 देवी बेवा अणदाराम जाति पालीवाल 2 देवाराम पुत्र डूंगराराम पालीवाल 3 कन्हैयालाल पुत्र डूंगराराम पालीवाल निवासीयान नेवरी 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

वाद पत्र बाबत घोषणा, बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

उपस्थित : वादी वकील श्री कपिल श्रीमाली — दिनांक : 02.07.2018

प्रतिवादी वकली श्री करणसिंह सोलंकी

वादी के वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 3 डूंगराराम पुत्र अचलाराम के विधिक वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 डूंगराराम के पुत्र अणदाराम के विधिक वारिसान है। डूंगराराम के कब्जे हक स्वामित्व की खातेदारी भूमि सरहद मौजा नेवरी में है जिसके वर्तमान खेत खसरा नंबर 163 रकबा 20.02 बीघा है जिसमें वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी जांच के वादग्रस्त भूमि में फौतगी डूंगराराम के बतौर विधिक वारिस के प्रतिवादी संख्या 1 अणदाराम व प्रतिवादी संख्या 2 देवाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया जबकि वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 डूंगराराम के जांयदा पुत्र होने एवं डूंगराराम के विधिक वारिसान होने से वादग्रस्त भूमि के उनका नाम भी बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज किया जाना था जबकि वादग्रस्त भूमि के अलावा सरहद तिरसिगडी सोढा में स्थित भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 के हक हिस्से की भूमि में कोई रुकावट व दखल अंदाजी आदि पैदा नही की गई।

वादीगण की इस्तदुआ है कि सरहद मौजा ग्राम नेवरी पटवार हल्का नेवरी तहसील पचपदरा में स्थित खेत खसरा नम्बर 163 रकबा 20 बीघा 02 विस्वा की खातेदारी भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के हक हिस्से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर अलग करवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जावे एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखल अंदाजी व रुकावट इत्यादी नही करे।

प्रतिवादीगण 1 व 2 ने दिनांक 26.06.2018 को उपस्थित होकर वाद पत्र को स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा घोषित किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का सम्मन बाद तामिल लौटा है जो बाबजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में भंवरलाल वादी संख्या 2 ने अपने ब्यानों का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया व प्रस्तुत जमाबन्दी EX-2 मौजा तिरसिगड़ी सोढा व ग्राम नेवरी जमाबन्दी EX-1 व मौजा नेवरी EX-4 व खसरा बदोबस्त EX-3 पेश किया तथा दिनांक 02.07.2018 को दोनो पक्षो की बहस सुनी गई।

हमने प्रस्तुत वाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजो व ब्यान भंवरलाल व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जबाब भली भांति अवलोकन कर अध्यन किया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 स्वर्गीय डूंगराराम के जायन्दा पुत्र है व डूंगराराम के विधिक वारिस है। जमाबन्दी मौजा तिरसिगड़ी सोढा संवत 2070–2073 EX-2 में वादीगण 1 व 2 प्रतिवादीगण 1 ता 3 के नाम बतौर खातेदार हिस्सा 1/5 दर्ज है तथा EX-3 खसरा बन्दोबस्त पेश किया जिसके कॉलम नंबर 26 में डूंगराराम गई साल गुजरने का इन्द्राज भी है तथा कॉलम नंबर 23 में डूंगरा खातेदार दर्ज है तथा कालम नंबर 24 में उनके वारिस अणदाराम व देवाराम का नाम दर्ज किया जबकि इनके साथ वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 का नाम दर्ज नहीं हुआ वादग्रस्त भूमि पैतृक है।

उपरोक्त विवेचन से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा नेवाई खसरा नंबर 163 रकबा 20.02 बीघा जो पूर्व में स्वर्गीय डूंगराराम की खातेदारी थी जो वादीगण व प्रतिवादी की पैतृक भूमि है। वादीगण संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक को 1/5 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाते है वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 3 प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से के खातेदार दर्ज किया जावे हिस्सा अनुसार ही विभाजन किया जावे। डिगरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.18 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix 'D'1)

अज अदालत–

पीठासीन अधिकारी :– श्री सहायक कलक्टर **SDO** मुकाम बालोतरा
श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

<u>वादीगण</u>

1 मांगीलाल पुत्र डूंगराराम पालीवाल
2 भंवरलाल पुत्र डूंगराराम पालीवाल
निवासीयान नेवरी

बनाम

<u>प्रतिवादीगण</u>

1 अणदाराम पुत्र डूंगराराम के कायम मुकाम
1/1 ओमप्रकाश पुत्र स्व. अणदाराम
1/2 देवी बेवा अणदाराम जाति पालीवाल
2 देवाराम पुत्र डूंगराराम पालीवाल
3 कन्हैयालाल पुत्र डूंगराराम पालीवाल
निवासीयान नेवरी
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
पचपदरा

<u>वाद पत्र बाबत घोषणा, बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नंबर 121/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी पक्षकारान मिनजानिब मुद्दई कपिल श्रीमाली व मिनजानिब पक्षकारान मुदायलाह करणसिंह सोलंकी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मौजा नेवाई खसरा नंबर 163 रकबा 20.02 बीघा जो पूर्व में स्वर्गीय डूंगराराम की खातेदारी थी जो वादीगण व प्रतिवादी की पैतृक भूमि है। वादीगण संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक को 1/5 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाते है वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 3 प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से के खातेदार दर्ज किया जावे हिस्सा अनुसार ही विभाजन किया जावे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 02.07.2018 को जारी की गई।

अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
एस.डी.ओ. बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner